



कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु एवं पुदुचेरी,

सं.प्रमले (लेखापरीक्षा-II)/आई.एस.टी.सी./2024-25/359

दिनांक: 28.02.2025

विषय: आईबीएस उपकरणों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करने से संबंधित।

नीचे उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार यूआईडीएआई- प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फिंगरप्रिंट एल 1 पंजीकृत उपकरणों की आपूर्ति के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवश्यक मात्राएं इस प्रकार हैं:

- एल1 टैबलेट-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उपकरणों की 15 इकाइयां
- एल1 फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस की 75 इकाइयां

आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने कोटेशन नीचे **निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों** के अनुसार प्रस्तुत करें:

1. किसी भी मामले में अपर्याप्त या अपूर्ण निविदाएं या निर्धारित शर्तों को पूरा न किया जाना अस्वीकार किए जाने योग्य है। निविदाकर्ताओं/फर्म द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने पर उनकी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। कीमत में वृद्धि या डिलीवरी/स्थापना की समय-सारणी में विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन में आवश्यक हार्डवेयर का मेक, मॉडल, टाइप और विस्तृत विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। अन्य विवरण जैसे वारंटी, डिलीवरी अवधि और इंस्टॉलेशन शुल्क, यदि कोई हो कर प्रावधान आदि, यदि आवश्यक हो, तो भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।
3. निविदाकर्ता/फर्म को, आवश्यकतानुसार, क्रय आदेश जारी करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर क्रय आदेश में बताए गए स्थान पर या ऐसे स्थान पर हार्डवेयर की डिलीवरी करनी होगी, जैसा कि संकेत दिया गया है। डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि ऑर्डर किए गए हार्डवेयर का निरीक्षण नहीं किया जाता और ऑर्डर में दिए गए प्रावधान के अनुसार हमारे द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता। कंप्यूटर हार्डवेयर की मात्रा और उनके पार्ट नंबर डिलीवरी के समय चालान के साथ बताए जाएंगे। खरीदे गए सामान का स्वामित्व केवल डिलीवरी और पूर्ण संस्थापन के बाद ही विभाग को दिया जाएगा।

4. विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सख्त समय सारणी के मद्देनजर साइट पर डिलीवरी और संस्थापन के लिए दिए गए शेड्यूल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि समय अनुबंध का सार है। निर्दिष्ट शेड्यूल से परे डिलीवरी और स्थापना में कोई भी अनुचित और अस्वीकार्य देरी निविदाकर्ता/फर्म को 0.5% (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम तीन सप्ताह के अधीन परिसमाप्त नुकसान के लिए उत्तरदायी बनाएगी और उसके बाद हम लंबित आपूर्ति के लिए ऑर्डर को रद्द करने और किसी अन्य निविदाकर्ता/फर्म से इसे प्राप्त करने और निविदाकर्ता/फर्म की बैंक गारंटी (यदि कोई हो) को शामिल करने का विकल्प रखते हैं। इसके अलावा, निविदाकर्ता/फर्म को आपूर्ति न की गई वस्तुओं के मूल्य का 8.5 प्रतिशत (साढ़े आठ प्रतिशत) रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ऐसी राशि निविदाकर्ता/फर्म को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काटी जा सकती है। ऐसी राशि का भुगतान या कटौती निविदाकर्ता/फर्म को कमीशनिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के अपने दायित्वों से या अनुबंध के तहत अपने अन्य दायित्वों और देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी। निर्णायक प्राधिकारी यानी वरिष्ठ उमले./प्रशासन और आईएसटीसी, जो आदेश देते हैं, का निर्णय अंतिम होगा कि क्या निविदाकर्ता/फर्म के कारण कमीशनिंग में देरी हुई है।
5. मानक भुगतान शर्तें, यदि कोई हो, तो लागू होने वाले परिसमाप्त नुकसान या अनुबंध की शर्तों के तहत अन्य वसूली के रूप में वसूली के अधीन होंगी। भुगतान डिलीवरी और आपूर्ति के भौतिक निरीक्षण और कानूनी रूप से वैध बिलों पर खरीदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित डिलीवरी चालान की मूल/प्रति प्रस्तुत करने के अधीन किया जाएगा। चालान तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बिलों में शुल्क हमेशा सहमत मूल्य/लागत/दरों पर दर्ज किए जाएंगे।
6. सभी भुगतान केवल सरकारी ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके लिए निविदाकर्ता/फर्म को भुगतान करने के लिए बैंक विवरण जैसे आईएफएससी.(IFSC) कोड और बैंक खाता संख्या प्रदान करनी होगी। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत बैंक खाता संख्या और आई.एफ.एस.सी.(IFSC) कोड प्रदान करने के कारण किसी अन्य बैंक खाते में किए गए किसी भी गलत भुगतान के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, निविदाकर्ता/फर्म आई.एफ.एस.सी.(IFSC) कोड और बैंक खाता संख्या युक्त रद्द किए गए चेक लीफ की एक प्रति दे सकता है, जिसमें भुगतान किया जाना है।
7. सभी तकनीकी प्रश्नों/शिकायतों, जो अनिश्चित हो सकती हैं, का संपूर्ण वारंटी/समर्थन अवधि के दौरान तत्काल समाधान किया जाएगा।
8. आवश्यक प्रशिक्षण, जो एक बार या अलग-अलग खंडों में हो सकता है, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता और स्थिति पर निर्भर करता है, निविदाकर्ता/फर्म द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।

हार्डवेयर के उपयोग के लिए आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण/सहायता सेवाओं की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए या संपूर्ण वारंटी/सहायता अवधि के दौरान मांग के आधार पर की जाएगी।

9. यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आपूर्ति की गई मशीन दोषपूर्ण है या घटिया किस्म की है या अनुबंधित मशीन से निम्न गुणवत्ता की है या अनुबंध के अनुरूप नहीं है, तो मांग किए जाने पर निविदाकर्ता/फर्म को स्वयं ही दोष को ठीक करना होगा या अनुबंध में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रभार और लागत पर नई मशीन उपलब्ध करानी होगी और यदि वह पूर्वोक्त मांग में हमारे द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो निविदाकर्ता/फर्म को मशीन (मशीनों) के मूल्य का 1% (एक प्रतिशत) की दर से प्रतिदिन के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, जो 10 दिनों से अधिक नहीं होगा, जब तक ऐसा करने में उसकी विफलता जारी रहेगी और ऐसी विफलता के मामले में, क्रेता निविदाकर्ता/फर्म से मशीन(मशीनों) का मूल्य वसूलने का हकदार होगा।
10. निविदाकर्ता/फर्म को अनुबंध की अवधि के दौरान हर समय तमिलनाडु सरकार या केन्द्र सरकार या इस कार्यालय और अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों, राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम अधिनियमों में निहित प्रावधानों और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, भविष्य निधि विनियमन आदि के तहत बनाए गए नियमों सहित, श्रमिकों के कल्याण और संरक्षण या जनता की सुरक्षा और अन्य बीमा प्रावधानों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।
11. अनुबंध निष्पादित करते समय निविदाकर्ता/फर्म अपने स्वयं के कर्मचारियों/इंजीनियर या कार्यालय परिसर के अंदर अन्य व्यक्तियों को लगी चोट और संपत्ति को हुई किसी भी हानि के लिए इस कार्यालय को क्षतिपूर्ति के किसी भी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।
12. अंतिम सहमत मूल्य में सभी कर, पैकिंग और अग्रेषण, माल ढुलाई, पारगमन बीमा और स्थापना शुल्क शामिल हैं। सभी अन्य शुल्क, शुल्क और अन्य व्यय, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, निविदाकर्ता/फर्म द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
13. जहां कोई विनिर्देश न हो वहां कार्रवाई: विनिर्देशों के किसी वर्ग या कार्य के वर्ग के मामले में, जिसका विनिर्देशों में या इन नियमों और शर्तों में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे कार्य/विनिर्देश खरीददार के निर्देशों और आवश्यकताओं के अनुसार किए जाएंगे।
14. उत्पाद का उद्धृत मूल्य कोटेशन की तारीख से 30 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।

15. इस अनुबंध के संचालन की अवधि के दौरान इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, चेन्नई स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

कोटेशन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए जिस पर **"यूआईडीएआई-प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फिंगरप्रिंट एल 1 पंजीकृत उपकरणों की आपूर्ति के लिए कोटेशन"** लिखा हो और इसे वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन एवं आईएसटीसी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) II, तमिलनाडु, लेखा परीक्षा भवन, 361, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 018 को संबोधित किया जाना चाहिए, जो 10.03.2025 4:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप कार्यालय समय के दौरान 044-24316667/668 पर संपर्क किया जा सकता है।

Sd/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन एवं आईएसटीसी